NRrhlx<+ 'kklu

foRr foHkkx

okf"kZd iz'kkldh; izfrosnu

o"kZ 2019&20

NRrhlx<+ 'kklu
foRr foHkkx

okf"kZd iz'kkldh; ifrosnu

o"kZ 2019&20

NRrhlx< 'kklu

foRr foHkkx

iLrkouk

विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 का विभागीय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है । इस प्रतिवेदन में वित्त विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों / निगम की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है ।

¼vferkHk tku½
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

NRrhlx< 'kklu
foRr foHkkx

1- foHkkx dk uke % foRr foHkkx

2- izHkkjh ea=h dk uke % Jh Hkwis'k c?ksy

3- NRrhlx< v/kkslajpuk % v/;{k& eq[; lfpo] NRrhlx< 'kklu
fodkl fuxe fyfeVsM

ea=ky; esa inLFk vf/kdkjhx.k

vij eq[; lfpo % श्री अमिताभ जैन

lfpo % श्रीमती शहला निगार

vij lfpo : श्री सतीश पाण्डेय

lapkyd ctV : श्रीमती शारदा वर्मा

la;qDr lfpo % 1. श्री अतीश पाण्डेय
: 2. डॉ. ए.के. सिंह

mi lfpo : श्री आर.के. सिसोदिया

voj lfpo % 1. श्रीमती प्रेमागुलाब एक्का
: 2. श्री राजशेखर शर्मा
: 3. श्री ऋषभ पाराशर
: 4. श्री अरविंद कुजूर
: 5. श्री आनंद मिश्रा
: 6. श्री सीताराम तिवारी
: 7. श्री मनोज तिवारी
: 8. श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा

'kk[kk vf/kdkjh % कु. हिमशिखा साहू

fo'ks"k dr0;LFk vf/kdkjh : श्री राघवेन्द्र कुमार

foHkkxk/;{k

1- lapkyd] dks"k] ys[kk ,oa isa'ku % श्री महादेव कावरे

2- lapkyd] LFkkuh; fuf/k laijh{kk % श्री अनुराग पाण्डेय

3- lapkyd] laLFkkxr foRr % श्री प्रभात मलिक

4- lapkyd] foRrh; izca/k ,oa lapuk iz.kkyh % श्रीमती शारदा वर्मा

5- izca/k lapkyd] NRrhlx< v/kkslajpuk fodkl fuxe fyfeVsM % श्री अनिल कुमार राय

fo"k;&lwph

Ø-	v/;k;	'kh"kd	i"B la[;k
1-	iz'kkldh; foHkkx	वित्त विभाग	1 ls 8 rd
2-	foHkkxk/;{k	1. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन	9 ls 19 rd
		2. संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा	20 ls 31 rd
		3. संचालनालय, संस्थागत वित्त	32 ls 37 rd
		4. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	38 ls 39 rd
3-	fuxe	5. छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	40

NRrhlx< 'kklu] foRr foHkkx] e=ky;] egkunh Hkou] uok jk;i|j vVy uxj] jk;i|j

foRr foHkkx dh Hkfedk rFkk l|jpuk

1-1 foHkkxh; Hkfedk %& छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देशो/अनुदेशों के अंतर्गत वित्त विभाग के कार्य को नियम 11 एवं 26 से 33 तक के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसका उद्धरण इस प्रकार है :–

fu;e 11 ¼,d½ कोई भी विभाग, वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किये बिना, ऐसे किन्हीं भी आदेशों को (वित्त विभाग द्वारा किये गये किसी सामान्य प्रत्यायोजन के अनुसरण में दिये गये आदेशों को छोड़कर) प्राधिकृत नहीं करेगा, जो या तो तत्काल या अपने प्रतिप्रभावों द्वारा राज्य की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करते हो या जो, विशिष्ट रूप से या तो –

(क) पदों की संख्या या श्रेणी निर्धारण या संवर्गो से या पदों की उपलब्धियों या अन्य सेवा–शर्तो से संबंधित हों, या

(ख) जिनमें किसी भूमि का अनुदान या राजस्व का समनुदेशन या खनिज या वन अधिकारों के संबंध में रियायत, मंजूरी, पट्टा या अनुज्ञप्ति या जल, विद्युत या किसी सुखाचार के संबंध में कोई अधिकार या ऐसी रियायत के संबंध में विशेषाधिकार अन्तर्वलित हों, या

(ग) जिनमें किसी भी रूप में राजस्व का कोई त्याग अन्तर्वलित हो,

(घ) सरकार द्वारा कोई गारन्टी दिये जाने संबंधी हो,

¼nks½ किसी भी प्रस्ताव पर, जिस पर इस नियम के उप–नियम (एक) के अधीन वित्त विभाग से पूर्व परामर्श करना अपेक्षित हो, किन्तु जिस पर वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी हो, तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, जब तक परिषद् द्वारा उस प्रभाव का निर्णय न ले लिया गया हो।

¼rhu½ कोई भी पुनर्विनियोग वित्त विभाग से भिन्न किसी भी विभाग द्वारा ऐसे सामान्य प्रत्यायोजनों के अनुसार ही किया जावेगा, जो कि (प्रत्यायोजन) वित्त विभाग द्वारा किये गये हों, अन्यथा नहीं.

¼pkj½ उस सीमा के सिवाय जिस सीमा तक कि वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये नियमों के अधीन विभागों को कोई शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, किसी भी प्रशासकीय विभाग का प्रत्येक आदेश, जिसमें कि लेखा परीक्षा में प्राधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा संसूचित किया जाना चाहिये.

¼ikp½ इस नियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि वह वित्त विभाग सहित किसी विभाग को, विनियोग अधिनियम में निविर्दिष्ट किसी एक अनुदान से ऐसे दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोजन करने के लिये प्राधिकृत करती है.

fu;e &26 foRr foHkkx fo'ks"k :i ls fuEufyf[kr dk;ksZa dk izHkkjh jgsxk %&

¼,d½ वह, शासन द्वारा मंजूर किये गये ऋणों से संबंधित लेखे का प्रभारी होगा और ऐसे ऋणों से संबंधित समस्त संव्यवहारों के वित्तीय पहलुओं पर सलाह देगा.

¼nks½ वह, अकाल सहायता निधि की सुरक्षा तथा उसके समुचित उपयोग के लिये तथा भविष्य निधि के प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा.

¼rhu½ वह, करो, शुल्कों, उपकरों या फीस के अधिरोपण, वृद्धि, कमी या समाप्ति के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा उन पर प्रतिवेदन देगा.

¼pkj½ वह, राज्य द्वारा गांरटी लेने या देने के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा प्रतिवेदन देगा, ऐसे ऋण लेगा, जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये हों, और वह, ऋणों के व्यय (सर्विस ऑफ दी लोन्स) या गारंटी उन्मोचन संबंधी समस्त मामलों का प्रभारी होगा.

¼ikp½ वह, यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि अन्य विभागों के मार्गदर्शन के लिये समुचित वित्तीय नियम बनाए जाते है और यह कि अन्य विभागों तथा उनके अधीनस्थ स्थापनाओं द्वारा उपयुक्त लेखे रखे जाते हैं.

¼N%½ वह, प्रतिवर्ष राज्य की कुल प्राप्ति तथा संवितरण का अनुमान तैयार करेगा तथा वर्ष के दौरान शासन के शेषों की स्थिति पर नजर रखने के लिये उत्तरदायी होगा.

¼lkr½ वह, बजट तथा अनुपूरक अनुमानों के संबंध में –

(क) वह, प्रतिवर्ष विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण तैयार करेगा और विधान मण्डल के मत के लिये प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त अनुदानों के लिए कोई भी अनुपूरक अनुमानों या मांगों को तैयार करेगा,

(ख) इस प्रकार तैयार किए जाने के प्रयोजन के लिए वह संबंधित विभागों से ऐसी सामग्री जिस पर उसके अनुमान आधारित होंगे, प्राप्त करेगा तथा वह इस प्रकार दी गई सामग्री पर बनाये गये अनुमानों की शुद्धता के लिये उत्तरदायी होगी,

''परन्तु यह कि योजना व्यय के प्राक्कलन तैयार करते समय योजना विभाग से परामर्श किया जायेगा और ये प्राक्कलन यथा संभव उस विभाग द्वारा सुझाए गए आबंटन के अनुसार होंगे, यदि इसमें कोई परिवर्तन हो तो उन्हें, योजना विभाग की टिप्पणी, यदि कोई हो, के साथ विशिष्ट रूप से परिषद् के ध्यान में लाया जायेगा.''

(ग) वह, नये व्यय की समस्त योजनाओं के संबंध में, जिनके लिए अनुमानों में व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया हो, परीक्षण करेगा तथा परामर्श देगा और ऐसी किसी भी योजना के लिये, जिसका इस तरह परीक्षण नहीं किया गया हो, अनुमानों में व्यवस्था करने से इन्कार करेगा,

(घ) वह, विधानमण्डल द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति के लिये अपेक्षित, सभी रकमों का राज्य संचित निधि से विनियोग तथा सदन के समक्ष तथा प्रस्तुत संचित निधि पर प्रभारित व्यय की व्यवस्था करने संबंधी विधेयक के पुरःस्थापन की कार्यवाही करेगा,

¼vkB½ वह, लेखा परीक्षा अधिकारी से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, कि पर्यान्त मंजूरी के अभाव में व्यय किया जा रहा है, संबंधित विभाग से मंजूरी प्राप्त करने के लिये या आगे व्यय नहीं करने के लिये अपेक्षा करेगा.

¼uk½ वह, कार्यकारी पक्ष में विनियोग लेखाओं तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करेगा तथा अन्य विभागों को आवश्यक निर्देश देगा.

¼nl½ वह, राजस्व के संग्रहण के लिए उत्तरदायी विभागों को संग्रहण की प्रगति तथा पद्धतियों के संबंध में सलाह देगा.

fu;e &27 ऐसे किसी पुनर्विनियोग को, जिसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी की आवश्यकता नहीं, मंजूर करने वाले किसी भी विभाग द्वारा पारित समस्त आदेशों की प्रतियां, आदेशों के पारित होते ही, उक्त विभाग को भेजी जाएगी.

fu;e &28 विशेष रूप से तथा अन्य विषयों के साथ–साथ निम्नलिखित विषय राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले विषय समझे जायेंगे –

(क) व्यय के लिये विनियोजित किए जाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत रकम से अधिक व्यय करना

(ख) लोक–धन से या भविष्य निधि के निक्षेप से किसी शासकीय कर्मचारी को अग्रिम मंजूर करना

(ग) किराया–मुक्त रियायत मंजूर करना

(घ) विभाग द्वारा निवृत्ति वेतन या अनुकम्पा भत्ते मंजूर करना

(ड.) वित्त विभाग द्वारा या उसकी सहमति से बनाये गये किसी नियम को शिथिल करना

(च) किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर प्रभावित व्यय के रूप में घोषित करने के लिये या किसी ऐसे व्यय की रकम में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव

(छ) शासन के ऋणी स्थानीय निकायों के बजट की पुष्टि करने संबंधी मामले

(ज) भू–राजस्व के निलम्बन या परिहार को विनियमित करने वाले नियमों का कोई भी उपांतरण

(झ) विषय से संबंधित नियमों के अनुसार न होकर अन्यथा भू–राजस्व के निलम्बन या परिहार के लिये प्रस्ताव

(त्र) उद्योग को राज्य सहायता या तकाबी अग्रिमों की मंजूरी को विनियमित करने वाले अधिनियमों या नियमों में कोई भी सारभूत उपांतरण

(ट) कर–निर्धारण प्रणालियों में यह विद्यमान कराधान, भू–राजस्व या सिंचाई देयों के उच्चतम परिमाण (पिच) में कोई सारभूत परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव

fu;e &29 कार्य नियम 11 द्वारा विहित परामर्श के दौरान वित्त विभाग द्वारा संसूचित किये गये उसके मत, उस विभाग के, जिसका कि वह मामला हो, अभिलेख में दर्ज किए जायेंगे और वे उस मामले के अभिलेख के भाग होंगे.

fu;e &30 (1) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री उस मामले के संबंध में, जिसमें कार्य नियम 11 (एक) या (तीन) में उल्लिखित कोई विषय अन्तर्वलित हो, कोई भी कागज–पत्र मंगवा सकेगा और वह मंत्री, जिससे ऐसी मांग की गई हो, कागज –पत्रों को भेजेगा।

(2) उप पैराग्राफ (1) के अधीन मांगे गए कागज–पत्रों की प्राप्ति पर वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री यह निवेदन कर सकेगा कि उक्त कागज–पत्र, उन पर उसकी टिप्पणी सहित, परिषद् को प्रसतुत किए जाएंगे.

fu;e &31 (1) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री किसी भी अन्य विभाग से ऐसी कोई भी जानकारी या विवरणी मंगवा सकेगा, जिसे वह वित्त विभाग उसके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिये समर्थ बनाने हेतु आवश्यक समझे.

(2) वित्त विभाग का भार साधक मंत्री, समस्त विभागों में सामान्य रूप से वित्तीय प्रक्रिया को शासित करने के लिये तथा वित्त विभाग के कार्य को और अन्य विभागों का वित्त विभाग के साथ संव्यवहार को विनियमित करने के लिये नियम उस सीमा तक बना सकेगा जहां तक कि ऐसे नियम वित्त विभाग को किसी भी अधिनियम या उचित प्राधिकार के अधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों द्वारा उसको सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन के लिये समर्थ बनने के लिए अपेक्षित हों और अन्य विभागों के भारसाधक मंत्री यह देखने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके विभागों में इन नियमों का पालन किया जा रहा है.

fu;e &32 ऐसे किसी प्रस्ताव की छानबीन करते समय, जिस पर कार्य नियम, 11 या किसी सहायक नियम के अधीन वित्त विभाग से परामर्श किया गया हो, उस विभाग का ऐसी स्थिति में यह बताना कर्तव्य होगा जबकि प्रस्ताव में किसी वित्तीय सिद्धांत का या वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित प्रनियमों में से किसी भी प्रनियम का उलंघन अन्तर्वलित हो –

(एक) प्रत्येक लोक अधिकारी को शासकीय धन से किये जाने वाले व्यय पर वैसी ही सतर्कता बरतरी चाहिए, जैसी सतर्कता एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपना स्वयं का धन व्यय करने में बरतता है.

(दो) कोई भी प्राधिकारी व्यय मंजूर करने की अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसा आदेश पारित करने के लिये नहीं करेगा, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ उसे प्राप्त होता हो.

(तीन) शासकीय धन का उपयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति या समुदाय के किसी वर्ग के फायदे के लिये तक नहीं किया जाना चाहिये, जब तक कि –

(1) अन्तर्वलित व्यय की रकम नगण्य न हो, या

(2) रकम का दावा किसी न्यायालय में प्रवर्तित न किया जा सकता हो, या

(3) व्यय मान्य नीति या परम्परा के अनुसरण में न हो.

(चार) भत्तों की रकम, जैसे यात्रा भत्ते, जो कि किसी विशिष्ट प्रकार के व्यय के पूरा करने के लिये मंजूर की गई हो, इस प्रकार विनियमित की जाय कि भत्ते कुल मिलाकर प्राप्ति कर्ता के लाभ के साधन न हो जायं.

fu;e &32&d अनुपूरक अनुदेश क्रमांक 32 के अधीन वित्त विभाग को परामर्श के लिये भेजे गए प्रत्येक मामले में वह विभाग अधिकतम पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर अपने मत के साथ उसे विभाग को लौटाएगा. यदि इस समयावधि में मामला वापिस करना संभव न हो तो वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मामले में संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव से चर्चा कर मामले के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करेंगे.

fu;e &33 वित्त विभाग को यह विनिश्चित करने की शक्ति होगी कि विशिष्ट विभागों में व्यय की लेखा–परीक्षा को प्राप्तियों की लेखा –परीक्षा द्वारा किस सीमा तक सहायता पहुंचाई जाए.

टिप्पणी – वित्त विभाग द्वारा कार्य नियम के अधीन किए गए प्रत्यायोजन तथा बनाए गए नियम वित्त विभाग द्वारा पृथक रूप से जारी किए गए हैं।

1-2 l¡jpuk ¼&

बजट कार्य के लिए विभाग में 5 बजट शाखाएं (संसाधन शाखा सहित) है, इन बजट शाखाओं के मध्य विभागावार बजट बनाने का कार्य आंबटित है। इनके अतिरिक्त एक प्रशासकीय शाखा, एक

नियम शाखा तथा एक आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई है । प्रशासकीय (स्थापना) शाखा में वित्त विभाग के विभागाध्यक्षों के स्थापना एवं प्रशासकीय कार्य संपादित किया जाता है। नियम शाखा में वित्त विभाग के नियमों/ अधिनियमों से संबंधित विषयों को देखा जाता है और उनके संबंध में विभिन्न विभागों को आवश्यक मत /परामर्श दिया जाता है, तथा पेंशन कल्याण संबंधी कार्य देखा जाता है । राज्य संसाधन शाखा में शासन के ऋणों का संधारण, पुर्नभुगतान एवं प्रबंधन संबंधी कार्य संपादित किया जाता है। वित्त आयोग (केन्द्रीय एवं राज्य) प्रकोष्ठ द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग को वांछित जानकारी तैयार कर प्रेषित करने, राज्य की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले ज्ञापन (मेमोरेण्डम) तैयार करने एवं अनुशंसाओं को लागू करने संबंधी अनुसंगिक कार्यवाही संपादित की जाती है।

1-3 foRr foHkkx dk nkf;Ro ,oa dk;Z %&

विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन सहित सभी कमिटेड खर्चो की पूर्ति हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना विभाग का दायित्व है । इसकी पूर्ति हेतु विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

(1) लोक –कल्याणकारी योजनाओं एवं कमिटेड खर्चो हेतु आय एवं व्यय का वार्षिक बजट तैयार करना
(2) बजट संसाधनों में दर्शित लोक ऋणों की प्राप्ति, उनके भुगतान एवं राज्य के उपलब्ध संसाधनों के मद्देनजर लोक ऋणों का समुचित प्रबंधन
(3) अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की वृद्धि हेतु समुचित प्रयास
(4) विधानसभा से बजट पारण एवं सर्वसंबंधित विभागों को व्यय हेतु बजट आबंटन जारी करना
(5) शासकीय राशि का मितव्ययितापूर्ण एवं गुणवत्तापरक व्यय सुनिश्चित करने हेतु दिशा–निर्देश जारी करना
(6) राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना
(7) राज्य वित्त आयोग का गठन एवं उसकी अनुशंसाओं को लागू करना
(8) केन्द्रीय वित्त आयोग के समक्ष राज्य की ओर से केन्द्रीय राजस्व के बंटवारे एवं राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक धनराशि के लिए मेमोरेण्डम प्रस्तुत करना
(9) राज्य में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं का विस्तार
(10) छत्तीसगढ़ राज्य के निवेशकों के हितों की सुरक्षा हेतु छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण से संबंधित आवश्यक कार्यवाही।
(11) संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा का अंकेक्षण प्रतिवेदन विधानसभा की पटल पर प्रस्तुत करना।

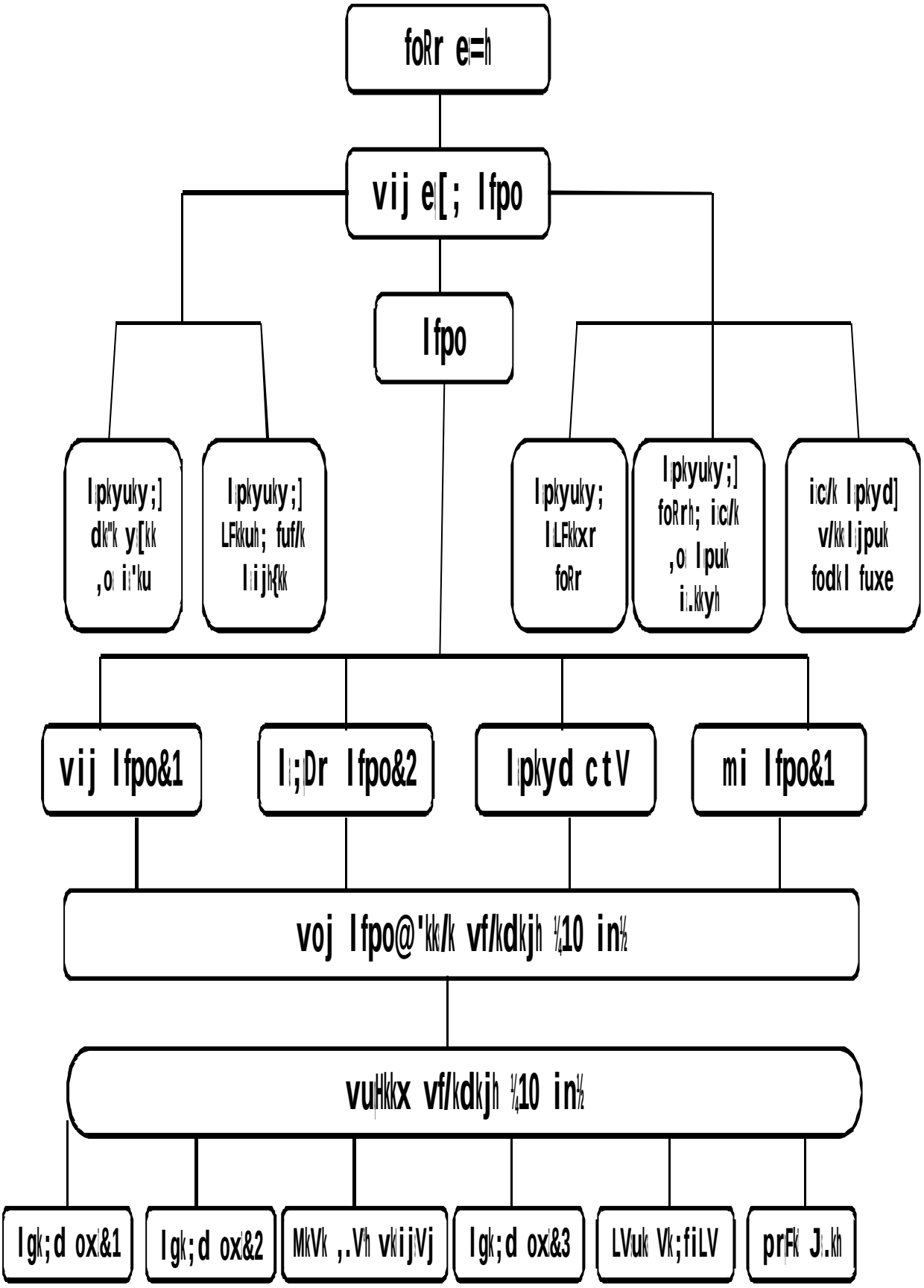

foRr ea=h
vij eq[; lfpo
lfpo
lapkyuky;] dks"k ys[kk ,oa isa'ku
lapkyuky;] LFkkuh; fuf/k laijh{kk
lapkyuky; laLFkkxr foRr
lapkyuky;] foRrh; izca/k ,oa lwpuk iz.kkyh
izca/k lapkyd] v/kkslajpuk fodkl fuxe
vij lfpo&1
la;qDr lfpo&2
lapkyd ctV
mi lfpo&1
voj lfpo@'kk[kk vf/kdkjh ¼10 in½
vuqHkkx vf/kdkjh ¼10 in½
lgk;d oxZ&1
lgk;d oxZ&2
MkVk ,.Vªh vkWijsVj
lgk;d oxZ&3
LVsuks VkbfiLV
prqFkZ Js.kh

e=ky; lsVvi vuqlkj foRr foHkkx ds fy, Lohd`r lsVvi dh tkudkjh fuEukuqlkj gS%&

inuke	**7osa osrueku esa ysoy**	**Lohd`r in**
1	**2**	**3**
अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	1
सचिव / विशेष	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	1
अपर सचिव	16	1
संयुक्त सचिव	15	3
उप सचिव	14	
शोध अधिकारी	13	1
अवर सचिव / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	13	9
अनुभाग अधिकारी	11	10
सहायक वर्ग–1	9	19
सहायक वर्ग–2	6	18
डाटा एन्ट्री आपरेटर	6	2
सहायक वर्ग–3	4	38
स्टेनो टायपिस्ट	4	1
दफ्तरी	2	12
भृत्य	1	
;ksx		**117**

foRr foHkkx ds v/khuLFk foHkkxk/;{k @fuxe@vk;ksx

1. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन
2. संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा
3. संचालनालय, संस्थागत वित्त
4. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली
5. छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास लिमिटेड

lapkyuky;] dks"k ys[kk ,oa isa'ku] NRrhlx<

bUnkorh Hkou] Cykd&,] iFke ry] uok jk;iqj vVy uxj

Hkkx&,d

lkekU; tkudkjh

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिनांक 01.11.2000 को राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप हुई है। विभाग की मुख्य गतिविधियों में राजकोष प्रशासकीय नियंत्रण, पेंशन तथा वेतन निर्धारण, लेखा प्रशिक्षण, कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, राज्य वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक का कार्य तथा अंशदायी पेंशन योजना हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में किये जाने वाले सभी कार्य शामिल हैं ।

1-2 v/khuLFk dk;kZy;%&

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीनस्थ ऑडिट प्रकोष्ठ, 05 संभागीय कार्यालय 28 कोषालय, 40 उपकोषालय तथा 02 लेखा प्रशिक्षण शालायें है ।

1-3 Lohd`r lsVvi %&

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, ऑडिट प्रकोष्ठ एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिये वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप निम्नानुसार है:–

dz-	inuke	eSfVªDl ysoy	Js.kh	Lohd`r in
01	आयुक्त / संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	प्रथम श्रेणी	01
02	वित्त नियंत्रक	लेवल – 16		01
02	अपर संचालक	लेवल – 15	प्रथम श्रेणी	02
03	संयुक्त संचालक	लेवल – 14	प्रथम श्रेणी	08
04	उप संचालक	लेवल – 13	प्रथम श्रेणी	27
05	सिस्टम एनालिस्ट	लेवल – 13	प्रथम श्रेणी	01
06	सहायक संचालक / कोषालय अधिकारी / अति.कोषालय अधिकारी / प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला	लेवल – 12	द्वितीय श्रेणी	34
07	प्रोग्रामर	लेवल – 12	द्वितीय श्रेणी	04
08	सहायक प्रोग्रामर	लेवल – 09	तृतीय श्रेणी	31
09	सहायक कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी / सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	लेवल – 09	तृतीय श्रेणी	516
10	शीघ्रलेखक ग्रेड–1	लेवल – 11	तृतीय श्रेणी	01
11.	शीघ्रलेखक ग्रेड–2	लेवल – 09	तृतीय श्रेणी	02
12.	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	लेवल – 07	तृतीय श्रेणी	07
13	सहायक ग्रेड–1	लेवल – 07	तृतीय श्रेणी	92
14.	सहायक ग्रेड–2	लेवल – 06	तृतीय श्रेणी	234
15.	सहायक ग्रेड–3	लेवल – 04	तृतीय श्रेणी	297
16.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेवल – 06	तृतीय श्रेणी	39

17.	वाहन चालक	लेवल – 04	तृतीय श्रेणी	14
18.	दफ्तरी	लेवल – 02	चतुर्थ श्रेणी	33
19.	भृत्य	लेवल – 01	चतुर्थ श्रेणी	159
20.	चौकीदार	कलेक्टर दर		08
21.	वाटरमैन	कलेक्टर दर		32
22.	स्वीपर / फर्राश	कलेक्टर दर		37
	;ksx			**1580**

vkfMV i}dks"B

d-	**inuke**	**efDV'I yoy**	**J.kh**	**Lohd`r in**
1	अपर संचालक	लेवल – 15	प्रथम श्रेणी	01
2	संयुक्त संचालक	लेवल – 14	प्रथम श्रेणी	03
3	उप संचालक	लेवल – 13	प्रथम श्रेणी	01
3	सहायक संचालक	लेवल – 12	द्वितीय श्रेणी	08
4	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	लेवल – 09	तृतीय श्रेणी	16
5	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	लेवल – 07	तृतीय श्रेणी	02
6	सहायक ग्रेड–2	लेवल – 06	तृतीय श्रेणी	04
7	सहायक ग्रेड–3	लेवल – 04	तृतीय श्रेणी	08
8	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेवल – 06	तृतीय श्रेणी	08
9	वाहन चालक	लेवल – 04	तृतीय श्रेणी	04
10	भृत्य	लेवल – 01	चतुर्थ श्रेणी	05
	;ksx			**60**

1-4 eq[; dRrZO; %&

1-4-1 dks"k ipkyu %& छत्तीसगढ़ राज्य के 05 संभागीय संयुक्त संचालकों, 02 लेखा प्रशिक्षण शालायें, 27 जिला कोषालयों एवं 01 इन्द्रावती कोषालय नवा रायपुर अटल नगर तथा 40 उपकोषालयों का प्रशासकीय नियंत्रण संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है। नवीन कोषालयों की स्थापना तथा छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार कोषालयों के संचालन का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है।

1-4-2 dks"k fujh{k.k %& राज्य के सभी कोषालय तथा उपकोषालयों का छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है।

1-4-3 isa'ku o osru fu/kkj.k %& राज्य के सभी शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है ।

1-4-4 loxZ izca/ku %& राज्य वित्त सेवा तथा अधीनस्थ लेखा सेवा का संवर्ग प्रबंधन विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है। प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, कोषालयीन लिपिकीय सेवा

वर्ग–1 एवं अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग की सेवायें राज्य स्तरीय सेवायें है जिनका संवर्ग प्रबंधन भी विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है ।

1-4-5 ys[kk izf'k{k.k %&राज्य के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को लेखाओं से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु 02 लेखा प्रशिक्षण शाला राज्य में स्थापित है। राज्य के समस्त तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लेखा प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वहन भी संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है।

1-4-6 va'knk;h isa'ku ;kstuk %& छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 01.11.2004 के पश्चातनव नियुक्त कर्मचारियों हेतु अंशदायी पेंशन योजना प्रारंभ की गई है, इस योजना में 30.10.2019 तक कुल 2,64,461 अधिकारी/कर्मचारी शामिल है।

1-4-7 vkfMV izdks"B :– आंतरिक लेखा परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीन एक पृथक आंतरिक लेखा परीक्षण (ऑडिट प्रकोष्ठ) का गठन किया गया है ।

1-5 miyfC/k;ka %&

1-5-1 isa'ku rFkk osru fu/kkZj.k %&

माह नवम्बर 2000 से नवम्बर 2019 तक की स्थिति में निम्नानुसार प्रकरणों का निराकरण किया गया :–

1	पेंशन प्रकरणों की संख्या	–	107189
2.	वेतन निर्धारण प्रकरणों की संख्या	–	221360

पेंशन से संबंधित जानकारी एवं अन्य सुविधाएं प्रदाय करने हेतु आनलाईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम ''**vkHkkj vkidh lsokvksa dk**'' वित्त निर्देश 28/2018 द्वारा मई 2018 से लागू किया गया है जो https://cgpension.nic.in/ पर उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निर्देश क्र. 24/2007 के द्वारा 01.01.1996 के पूर्व के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के पेशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के निर्देश प्रसारित किये गये इसके तारतम्य में पेंशन पुनरीक्षण का कार्य किया गया एवं वित्त निर्देश 52/2017 द्वारा 01.01.2016 के पश्चात् सेवा निवृत/दिवंगत शासकीय सेवको के पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है साथ ही प्राधिकृत नये पेंशन प्रकरणों में नियमित भुगतान प्रारंभ होने के स्थिति की समीक्षा प्रत्येक माह किया जा रहा है।

पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर हो इसके लिये आगामी दो वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की जांच अनिवार्य की गई है ताकि पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर हो एवं अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित होने पर उसकी वसूली भी सुनिश्चित किया जा सके ।

1-5-2 va'knk;h isa'ku ;kstuk %&

1- दिनांक 01.11.2004 अथवा इसके पश्चात् राज्य शासन की पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए एक नई परिभाषित ''अंशदान आधारित पेंशन योजना'' लागू है। मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत की राशि अनिवार्य रूप से कटौती कर तथा इसके समतुल्य शासन द्वारा नियोक्ता अंशदान जमा किया जा रहा है । छ.ग. राज्य द्वारा दिनांक 19.09.2008 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अपनाया गया है। इस योजना में 30.10.2019 तक कुल 2,64,461 अधिकारी/कर्मचारी शामिल है।

2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पंजीकरण हेतु 01 सितंबर 2019 ls Server to Server Integration के माध्यम से ऑनलाईन PRAN(Permanent Retirement Account Number) आबंटन की कार्यवाही किया जा रहा है। अभिदाता कार्मिक संपदा हेतु निर्धारित आवेदन डी.डी.ओ. के माध्यम से जिला कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर जिला कोषालय से ऑनलाईन PRAN आबंटित किया जाता है। Server to Server Integration के माध्यम PRAN होने से PRAN एवं एम्पलाई आई.डी. साथ ही ई–कोष साफ्टवेयर में सीधे अपडेट हो जाता है। PRAN के किसी विवरण में संशोधन/परिवर्तन की आवश्यकता हो तो Annexure-S2 फार्म में जानकारी भर कर संबंधित जिला कोषालय को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

3- ,u-ih-,l- [kkrs dk izdkj – v- टियर–1 गैर–निकासी योग्य खाते में सेवानिवृत्ति के लिए अपनी बचत का योगदान देगा । **c-** टियर–2 स्वैच्छिक बचत सुविधा, अभिदाता जब भी चाहे इस खाते से अपनी बचत वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा ।

4. PRAN **[kkrs esa va'knku tek dh izfdz;k** – वेतन से कटौती किये गये अभिदाता के अंशदान को लोक लेखा शीर्ष 8342 एवं उसके समतुल्य नियोक्ता अंशदान मुख्य शीर्ष 2071 से आहरित कर ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया जाता है। बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवक एवं नियोक्ता का अंशदान चालान के माध्यम से लोक लेखा शीर्ष 8342 में जमा किया जाता है तथा इस शीर्ष से अंशदान को आहरित कर ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया जाता है।

5- fgr/kkjh & jk"Vªh; isa'ku iz.kkyh ls lacaf/kr fgr/kkjh fuEukuqlkj gS&

v& एन.पी.एस. के अंतर्गत निधि के विनियमन का कार्य पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जा रहा है।

c& एन.पी.एस. ट्रस्ट एवं ट्रस्टी बैंक के रूप में एक्सिस बैंक नियुक्ति किया गया है ।

l– कस्टोडियन–स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL)

n& राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.04.2009 से केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी के रूप में एन.एस.डी.एल. की सेवाएँ ली जा रही है।

b– फण्ड मैनेजर – एस.बी.आई. पेंशन फण्ड लिमिटेड रिटायरमेंट साल्यूशन लिमिटेड, यूटीआई, एल.आई.सी. पेंशन फण्ड लिमिटेड

6- ykHk &

i. मोबाइल एप्प तथा एन.एस.डी.एल की वेबसाइट में लॉग इन करके त्वरित रूप से एन.पी.एस खाते से संबंधित विवरण

ii. सेवा का क्षेत्र बदलने पर पेंशन निधि में जमा राशि PRAN खाते के साथ स्थानांतरित करने का लचीलापन

iii. deZpkfj;ksa dks dj ykHk& अभिदाता अपने टियर–1 खाते में जमा राशि पर निम्नानुसार कर लाभ प्राप्त कर सकता है–

(**d**½ कर्मचारियों का अपना अंशदान धारा 80 सी.सी.ई की 1.50 लाख की समग्र सीमा के भीतर, धारा 80 सी.सी.डी (1) के तहत कर में छूट

(**[k**½ नियोक्ता का अंशदान– धारा 80 सी.सी.डी(2) के तहत बिना किसी सीमा के कर में अतिरिक्त छूट

(**x**½ कर में अतिरिक्त छूट – अतिरिक्त अंशदान करने पर 80 सी.सी.ई के 1.50 लाख की सीमा के अलावा कर में अधिकतम रूपये 50,000/– की छूट 80 सी.सी.डी 1(B) के तहत प्राप्त होगी

7- vkf'kd vkgj.k &योजना के न्यूनतम 3 वर्ष की सदस्यता पश्चात् अभिदाता पूरे सेवा काल के दौरान गृह निर्माण, अधिसूचित स्वास्थ्य समस्याओं एवं बच्चों की उच्च शिक्षा/विवाह हेतु अधिकतम 3 बार स्वयं के अंशदान का 25 प्रतिशत राशि का आंशिक आहरण कर सकता है फार्म 601pw । (वित्त निर्देश 58/2017)

8- fudkIh

fudkIh dk izdkj	vf/kdre ,de'r jkf'k	U;wure okf"kdh d;	100% fudkIh gsrq vf/kdre tek	vkosnu Qkel
सेवानिवृत्ति	60%	40%	**2 yk[k**	101GS
सेवात्याग	20%	80%	**1 yk[k**	102GP
मृत्यु	20%	80%	**2 yk[k**	103GD

9- fMQjesV & अभिदाता वार्षिकी क्रय हेतु न्यूनतम राशि को 03 वर्ष के लिए तथा अधिकतम एकमुश्त आहरण योग्य राशि को 70 वर्ष की आयु तक आस्थगित करने का विकल्प यदि चाहे तो दे सकता है । इस हेतु अधिवार्षिकी आयु से कम से कम 15 दिन पूर्व इस आशय का सूचना देना होगा ।

10- okf"kdh d; (Annuity Service Providers)- वार्षिकी क्रय हेतु निर्धारित न्यूनतम राशि का वार्षिकी क्रय करने हेतु निम्न सेवा प्रदाता अधिकृत हैं —

i. Life Insurance Corporation of India
ii. HDFC Life Insurance Co. Ltd
iii. ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd
iv. SBI Life Insurance Co. Ltd
v. Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd

11- vkWu ykbZu f'kdk;r (Grievance)- अभिदाता को PRAN खाते से संबंधित यदि कोई शिकायत हो तो उसके द्वारा स्वयं अथवा डी.डी.ओ के माध्यम से ऑनलाईन शिकायत दर्ज किया जा सकता है।

12- नवंबर 2019 तक ट्रस्टी बैंक ''एक्सिस बैंक'' को योजना की कुल राशि 7919.71 करोड़ (शब्दों में—उन्यासी अरब उन्नीस करोड़ इकहत्तर लाख) स्थानांतरित किया जा चुका है।

1-5-3 isa'kuj dY;k.k dks"k %&

राज्य के पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण के लिये राज्य शासन को उपाय सुझाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन के अध्यक्षता में पेंशन कल्याण मंडल पुर्नगठित है मंडल में विभिन्न पेंशनर संघों के 05 प्रतिनिधि अशासकीय सदस्यों के रूप में नामांकित है ।

राज्य गठन के पश्चात् पेंशनरों एवं उसके परिवारों के सदस्यों को गंभीर बीमारी, दुर्घटना ग्रस्त होने की स्थिति में एवं श्रवण यंत्र, दंत व चश्मा के प्रकरणों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये पेंशनर कल्याण कोष संचालित है।

पेंशन कल्याण कोष में कुल प्राप्त राशि रू. 91,10,000/— लाख में से दिसंबर 2018 तक 567 पेंशनरों को वित्तीय सहायता के रूप में 63,36,100/— लाख स्वीकृत किये गये हैं ।

1-5-4 dk"kky; Lrj ij dEI;Vjhdj.k %& राज्य शासन के वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं आय–व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से समस्त कोषालयों एवं उपकोषालयों को दिनांक 01.04.2005 से कम्प्यूटरीकृत किया गया है। जिसमें सभी कोषालयों एवं उपकोषालयों को संचालनालय के मध्य लीज–लाईन के माध्यम से ऑनलाईन नेट–वर्किंग स्थापित की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य के आय–व्यय की अद्यतन स्थिति ज्ञात करने में सुविधा होती है। छ.ग. राज्य के कोषालयों में **^^bZ&dks"k**** लागू कर संपूर्ण कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण का सॉफ्टवेयर एन.आई.सी. द्वारा विकसित किया गया है। कोषालयों में डाटा प्रविष्टि के साथ अन्य कार्य जैसे की डिपॉजिट, ई–कर्मचारी, ई–पेरोल, ई–पेमेंट, पंजी का कैशबुक संधारण, पेंशनर का पी.पी.ओ. जारी करना एवं सूची तैयार करना तथा बजट कन्ट्रोल इत्यादि कार्यो का निर्वहन किया जा रहा है। वर्तमान में दिनांक 01.04. 2017 से पूर्णतः केन्द्रीकृत ऑनलाईन व्यवस्था **lkbZcj Vªstjh** प्रारंभ की गई है जिसमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, मुख्यालय महानदी भवन, नया रायपुर में स्थापित सेंट्रल सर्वर के माध्यम से समस्त जिलो एवं उपकोषालयों का संपूर्ण कार्य ऑनलाईन संपादित होता है। इससे राज्य शासन के आय–व्यय की संपूर्ण जानकारी सेंट्रल सर्वर के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

1-5-5 bZ&pkyku dh lqfo/kk %& राज्य शासन द्वारा 10/2006 से राज्य में वाणिज्य कर विभाग में ई–चालान की सुविधा प्रारंभ की गई है एवं दिनांक 10.03.2008 से सभी विभागों के लिये भी लागू किया गया है। इस प्रक्रिया से इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाला व्यक्ति घर पर ही चालान जमा कर सकता है। लेखांकन हेतु इंद्रावती कोषालय, नवा रायपुर अटल नगर को अधिकृत किया गया है। चालान जमा करने के उपरांत जमाकर्ता को इलेक्ट्रानिक चालान प्राप्त हो जाता है। यह सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आई.सी.आई.सी. आई. बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओव्हरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं कार्पोरेशन बैंक के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। भविष्य में लेखांकन एवं स्क्रालिंग संबंधित कार्य कोषालयों से लिंक कर दिया जावेगा ।

1-5-6 bZ&isesaV %& भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत आने वाले अधिकारी/कर्मचारी का वेतन भुगतान दिनांक 01 नवम्बर 2010 से ई–पेमेंट के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया। इस सुविधा का विस्तार दिनांक 01.01.2011 से समस्त विभागों के लिए किया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वेतन जमा होने की सूचना शासकीय सेवकों को मोबाईल पर संदेश (Message) की सुविधा बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। सभी शासकीय विभागों द्वारा प्रदायकर्ताओं (Contractor/Vendors/Suppliors) को रू. 5,000.00 या इससे अधिक का भुगतान ई–पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। शासकीय सेवकों के सभी स्वत्वों का भुगतान भी ई–पेमेंट के माध्यम से किया जा रहा है। **Hkkjrh; fjtoZ cSad dks bZ&dqcsj lk¶Vos;j ds ek/;e ls bZ&isesaV iz.kkyh djus dk dk;Z izfdz;k/khu gSA** शीघ्र ही राज्य शासन के समस्त प्रकार के भुगतान का कार्य भारतीय रिर्जव बैक के ई–कुबेर साफ्टवेयर के माध्यम से प्रारंभ कर दिया जाएगा।

1-5-7 lk[k i=k dk dEI;Vjhdj.k %& वित्तीय वर्ष 2013–14 में निर्माण कार्य विभागों के लिए प्रचलित साख–पत्र व्यवस्था समाप्त करते हुए ई–कोष के माध्यम से ऑनलाईन बजट आबंटन/व्यय आदि का लेखा संधारण किया जा रहा है।

1-5-8 foHkkxh; fujh{k.k %& कोषालय संहिता अनुभाग–03 के सहायक नियम 38 के अनुसार कोषालय का विभागीय निरीक्षण किया जाता है। संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत 05 संभागीय संयुक्त संचालक, 06 संभागीय कोषालय, 22 जिला कोषालय, 02 लेखा प्रशिक्षण शाला एवं 40 उपकोषालय संचालित है।

संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन, संभागीय जिला कोषालयों एवं लेखा प्रशिक्षण शाला का विभागीय निरीक्षण प्रत्येक वर्ष तथा जिला कोषालयों का 03 वर्ष एवं उपकोषालयों का 6 वर्ष में किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले विभागीय निरीक्षण रोस्टर निम्नानुसार है :–

सरल क्रमांक	माह	संभागीय संयुक्त संचालक	जिला. कोषालय	उप कोषालय
1.	अप्रैल 2019	–	रायगढ़	घरघोड़ा
2.	मई 2019	जगदलपुर	जगदलपुर / सुकमा	भानुप्रतापपुर
3.	जून 2019	दुर्ग	दुर्ग	डोंगरगढ़
4.	जुलाई 2019	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	–
5.	अगस्त 2019	–	जिला कोषालय रायपुर, इन्द्रवती कोषालय नवा रायपुर अटल नगर	अंतागढ
6	सितम्बर 2019	रायपुर	बालोद	–
7.	अक्टूबर 2019	बिलासपुर	बिलासपुर	–
8.	नवंबर 2019	–	जशपुर	बगीचा
9.	दिसंबर 2019	–	जांजगीर / बेमेतरा	डभरा
10.	जनवरी 2020	–	कांकेर / बलौदाबाजार	केशकाल
11.	फरवरी 2020	–	नारायणपुर / कोण्डागांव	वाड्राफनगर

1-5-9 foHkkxh; ijh{kk,a %&

संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा आयोजित लेखा प्रशिक्षण परीक्षा, छ.ग. राज्य वित्त लेखा सेवा परीक्षा (परि.) अधिकारियों की विभागीय परीक्षा भाग–1 एवं भाग–2 तथा छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा (परि.) अधिकारियों की विभागीय परीक्षा भाग–1 एवं भाग–2 में सम्मिलित परीक्षार्थियों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार हैः–

y[kk izf'k{k.k ijh{kk

ekg ,oa fnukad	ijh{kk esa lfEefyr ijh{kkfFk;ksa dh dqy la[;k	mifLFkr	vuqifLFkr	mRrh.kZ	vuRrh.kZ
tqu–2019 दिनांक 10.06.2019 से 19.06.2019 तक	रायपुर केन्द्र– 123 बिलासपुर केन्द्र– 107 = 230	158	72	119	39

N-x-jkT; foRr y[kk lsok ¼ifjoh{kk/khu½ vf/kdkfj;ksa dk foHkkxh; ijh{kk Hkkx&1

ekg ,oa fnukad	ijh{kk gsrq tkjh jksy ucj	mifLFkr	vuqifLFkr	;ksx	mRrh.kZ	vuRrh.kZ
tuojh –2019 दिनांक 22.01.2019 से 29.01.2019 तक	115 से 125	11	–	11	07	04

tqykbZ –2019 दिनांक 29.07.2019 से 05.08.2019 तक	01 एवं 04	02	–	02	02	–

N-x-jkT; foRr y[kk lsok ¼ifjoh{kk/khu½ vf/kdkfj;ksa dk foHkkxh; ijh{kk Hkkx&2

ekg ,oa fnukad	ijh{kk gsrq tkjh jksy uacj	mifLFkr	vuqifLFkr	;ksx	mRrh.kZ	vuRrh.kZ
tuojh –2019 दिनांक 22.01.2019 से 29.01.2019 तक	150	01	–	01	01	–
tqykbZ –2019 दिनांक 29.07.2019 से 05.08.2019 तक	151 से 157	07	–	07	03	04

N-x- v/khuLFk y[kk lsok ¼ifjoh{kk/khu½ vf/kdkfj;ksa dk foHkkxh; ijh{kk Hkkx&1

ekg ,oa fnukad	ijh{kk gsrq tkjh jksy uacj	mifLFkr	vuqifLFkr	;ksx	mRrh.kZ	vuRrh.kZ
tuojh –2019 दिनांक 22.01.2019 से 28.01.2019 तक	374 से 443 तक	68	02	70	25	43
tqykbZ –2019 दिनांक 29.07.2019 से 05.08.2019 तक	444 से 482 तक	38	01	39	32	06

N-x- v/khuLFk y[kk lsok ¼ifjoh{kk/khu½ vf/kdkfj;ksa dk foHkkxh; ijh{kk Hkkx&2

ekg ,oa fnukad	ijh{kk gsrq tkjh jksy uacj	mifLFkr	vuqifLFkr	;ksx	mRrh.kZ	vuRrh.kZ
tuojh –2019 दिनांक 22.01.2019 से 28.01.2019 तक	166 से 196 तक	31	–	31	16	15
tqykbZ –2019 दिनांक 29.07.2019 से 05.08.2019 तक	197 से 236 तक	40	–	40	35	05

1-5-10 vkfMV idk"B :– छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 923/782/2013/स्था./चार दिनांक 26.08.2013 द्वारा लेखा परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन के अधीन एक पृथक आंतरिक लेखा परीक्षण (ऑडिट प्रकोष्ट) का गठन किया गया है, जिसके द्वारा छ.ग. शासन के समस्त कार्यालय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण एवं भंडार का भौतिक सत्यापन कार्य संपादित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के रोस्टर अनुसार कुल 132 विभागाध्यक्ष एवं जिला कार्यालयों के लेखाओं का आंतरिक लेखा परीक्षण एवं भंडार का भौतिक सत्यापन किया जाना निर्धारित है। दिनांक 30.11.2019 की स्थिति में कुल 84 कार्यालयों का अंकेक्षण किया जा चुका है। शेष कार्यालयों के लेखाओं का आंतरिक लेखा परीक्षण एवं भंडार का भौतिक सत्यापन माह–मार्च 2020 तक पूर्ण किया जावेगा । साथ ही वित्त विभाग द्वारा आदेशित कुल 04 कार्यालयों का विशेष अंकेक्षण भी किया गया है ।

1-5-11 lkekU; Hkfo"; fuf/k Unpost Credit, Unpost Debit, Dormant Account, Fullwant, partwant :-

izdj.kksa dh la[;k	fujkd`r izdj.k	yafcr izdj.k	jkf'k	fjekdZ
665247	438270	226977	46,67,07,227.00	

भाग-दो बजट एक दृष्टि में-

बजट प्रावधान एवं व्यय योजनावार

दिनांक 27.12.2019
की स्थिति में

वित्तीय वर्ष 2019–20

ekax la[;k&06] 2054&jktdks"k vkSj ys[kk iz'kklu

Ø-	;kstuk 'kh"kZ	;kstuk dk uke	ctV izko/kku	O;;
1	(3843)	लेखा प्रशिक्षण शाला	9120000	4204315
2	(2274)	निदेशन एवं प्रशासन	230769000	114404058
3	(4307)	संभागीय स्थापना	90100000	51067564
4	(8904)	ऑडिट प्रकोष्ठ	23720000	16836308
5	(7919)	छ.ग. लोक वित्त प्रबंधन	85000000	0
6	(1026)	खजाना स्थापना	461500000	281309570
		;ksx 2054	**882210000**	**467821815**

ekax la[;k&06] 2235&lkekftd lqj{kk ,oa dY;k.k

7	(7000)	पेंशन कल्याण कोष की प्रतिपूर्ति	10000	0
		;ksx 2235	**10000**	**0**

ekax la[;k&06] 2071&isa'ku vkSj lsokfuo`fRr ykHk

8	(6801)	राज्य शासन का अंशदान	11000000000	7974240988
		;ksx 2071	**11000000000**	**7974240988**

ekax la[;k&06] 2885&m|ksxks vkSj [kfutksa ij vU; ifjO;;

9	(4843)	अधो संरचना विकास निगम	130000000	55000000
		;ksx 2885	**130000000**	**55000000**

ekax la[;k&06] 4070&vU; iz'kklfud lsokvksa ij iwath

10	(2274)	निदेशन एवं प्रशासन (वाहनों का क्रय)	3000000	0
		;ksx 2274	**3000000**	**0**
		egk;ksx	**12015220000**	**8497062803**

ekx l[;k& e[; 'kh"k&2049&C;kt lnk; **¼jkf'k gtkjks e½**

l-d-	;kstuk	;kstuk dk uke	o"k 2019&20 grq izko/kku	C;kt lek;kstu jkf'k
1	4192	शास. कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)	250000	190819
2	4198	शास. कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)	700000	474108
3	4209	शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	60000	31177

Hkkx&rhu

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत संचालित समस्त योजना एवं स्थापना व्यय आयोजनेत्तर मद में स्वीकृत है। राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मद में न ही कोई स्थापना व्यय है और न ही कोई योजना संचालित है, अतः इसकी जानकारी निरंक है।

Hkkx&pkj& lkekU; iz'kklfud fo"k; :– निरंक ।

Hkkx&ikp & vfHkuo ;kstuk

01. राज्य में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को त्वरित बनाने के लिए ऑनलाईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम **^^vkHkkj vkidh lsokvks dk**** माह मई–2018 से राज्य में लागू किया गया है। इस सिस्टम के तहत् पेंशन, उपादान तथा सारांशिकरण भुगतान अदायगी आदेश ऑनलाईन जारी किया जा रहा है एवं पेंशनरों को कोषालय में उपस्थित होने की पूर्व प्रक्रिया को समाप्त किया गया है।

02. वर्तमान में प्रचलित ई–कर्मचारी सॉफ्टवेयर में शासकीय सेवकों की बहुत सी जानकारियों को समय के साथ अद्यतन करने के उद्देश्य से **l'kkf/kr dkfeZd lEink ¼bZ&deZpkjh½ ekM;wy** तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल में कुछ नवीन Fields जोड़कर और अधिक व्यवस्थित किया गया है तथा यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। साथ ही ई–पेरोल सॉफ्टवेयर को ई–कर्मचारी मॉड्यूल से लिंक किया गया है ताकि दोनो की जानकारियों में एकरूपता हो।

03. राज्य के सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान **^^vkWuykbZu th-ih-,Q- QkbZuy isesUV flLVe**** – ''आभार –आपकी सेवाओं का'' के माध्यम से आगामी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस सिस्टम के तहत् सामान्य भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र ऑनलाईन जारी किया जायेगा। जिससे सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान त्वरित रूप से हो सकेगी ।

04. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सहयोग से संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन के द्वारा राज्य के समस्त अधिकारी/कर्मचारी का वेतन एवं अन्य स्वत्वों तथा शासकीय क्रय हेतु वेंडरों को किये जा रहे समस्त भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में **bZ&isesUV** के माध्यम से किया जा रहा है साथ ही उक्तानुसार बैंक खातों में अंतरित की जा रही राशि की सूचना भी SMS के माध्यम से संबंधित को प्रदाय की जाती है। जो राशि वेंडर के सीधे खाते में जमा किया जाना संभव नहीं होता है उस राशि को संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के चालू खाते में अंतरित किया जाता है।

Hkkx&N%& foHkkx }kjk fudkys tk jgs idk'ku %& निरंक ।

Hkkx&lkr& vU; fooj.k

lewg chek ;kstuk &

दिनांक 01.11.1974 से शासकीय परिवार कल्याण निधि योजना अनिवार्य रूप से प्रभावशील की गई है तत्पश्चात् म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 01.07.1985 से समूह बीमा योजना प्रभावशील करते हुए यह प्रावधान रखा गया है कि शासकीय सेवक परिवार कल्याण योजना 1974 के सदस्य अपना नकारात्मक विकल्प प्रस्तुत कर पूर्व अनुसार परिवार कल्याण निधि योजना के सदस्य बने रहकर योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अंशदान जमा कराते रहेंगे। किन्तु ऐसा विकल्प प्रस्तुत न करने पर वे स्वमेव समूह बीमा योजना, 1985 के अनिवार्य सदस्य होंगें तथा अनिवार्य रूप से उनके वेतन से समूह बीमा योजना, 1985 के अंतर्गत कटौत्रा किया जावेगा।

यह योजना संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन है तथा योजनाओं से संबंधित बिन्दुओं पर प्रशासित करना, योजनाओं के अभिलेखों का निरीक्षण करना, योजना के अंतर्गत भुगतान राशि का परीक्षण करना, योजना से संबंधित आय–व्यय के आंकड़े संबंधी संचित अवशेष राशियों पर ब्याज संगणित करना एवं शासन को प्रतिवेदन का कार्य सौंपा गया है। इस विभाग द्वारा कई कार्यालय प्रमुखों द्वारा जारी किये गये परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना के अधीन स्वीकृति आदेश तथा पात्रता राशि का परीक्षण किया जाता है और त्रुटि पाये जाने पर संबंधितों को सुधार हेतु लेख किया जाता है साथ ही चाहे जाने पर उन्हें मार्गदर्शन भी दिया जाता है।

वर्तमान में 01.07.2017 से समूह बीमा योजना के अभिदान कटौत्रा राशि में पुनः 50 प्रतिशत वृद्धि की कार्यवाही शासन स्तर पर की गयी है । जिसमें प्रथम श्रेणी के शासकीय सेवकों का कटौत्रा 480/–, द्वितीय श्रेणी 360/–, तृतीय श्रेणी 300/– एवं चतुर्थ श्रेणी का कटौत्रा 180/– किया गया है।

परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना में प्रतिवर्ष जमा राशि पर देय ब्याज राशियों का अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से समायोजन किया जाता है। उक्त योजना के अधीन सिर्फ सेवानिवृत्ति/सेवापृथक की स्थिति में बचत निधि पर तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज सहित तथा मृत्यु की दशा में बीमा राशि देय होती है।

———000———

l¡pkyuky;] LFkkuh; fuf/k l¡ijh{kk
bUnzkorh Hkou] Cykd&,] f}rh; ry] uok jk;iqj vVy uxj
Hkkx&1

1- lkekU; tkudkjh %&

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थित निगमित एवं अनिगमित स्थानीय निकायों एवं शैक्षणिक संस्थाओं आदि जिन की संख्या बारह हजार से अधिक है के लेखाओं का अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति तथा लेखाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण सम्मिलित करते हुए, दृष्टिगत वित्तीय अनियमितताओं एवं महत्वपूर्ण आपत्तियों का समावेश किया जाता है। राज्य से अनुदान एवं गैर अनुदान प्राप्त समस्त निगमों, मण्डलों, बोर्डो, अकादमी आदि मे कार्यरत मूल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की जांच एवं सत्यापन का कार्य भी किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 (31 दिसबंर 2019 तक) की अवधि में, जिन स्थानीय निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा संपादित की गई है, उनकी आर्थिक स्थिति एवं लेखाओं के विशिष्टताओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अनियमितताओं के संबंध में निकायों की संपरीक्षा के समय ही, निकाय के प्रधान अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श पश्चात् विगत तथा वर्तमान संपरीक्षा प्रतिवेदनों में उत्थापित आपत्तियों के निराकरण तथा लेखा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु अभिमत दिया जाता है। अंकेक्षित निकायों के प्रशासकीय विभागों को भी अंकेक्षण की प्रति प्रेषित की जाती है।

2-LFkkuh; fuf/k l¡ijh{kk dk iz'kkldh; <kapk %&

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं अम्बिकापुर में स्थापित हैं। संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये कुल 375 पदों का सृजन किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

dz	dk;kZy;	dqy in la[;k
1	संचालनालय, रायपुर	62
2	क्षेत्रीयकार्यालय, रायपुर	75
3	क्षेत्रीयकार्यालय, बिलासपुर	55
4	क्षेत्रीयकार्यालय, जगदलपुर	42
5	क्षेत्रीयकार्यालय, राजनांदगांव	67
6	क्षेत्रीयकार्यालय, रायगढ़	38
7	क्षेत्रीयकार्यालय, अम्बिकापुर	36
dqy in la[;k		**375**

टीप –संयुक्त संचालक (वित्त) के प्रतिनियुक्ति पद को उक्त तालिका में नहीं जोड़ा गया है।

संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 31.12.2019 की स्थिति में कार्यरत स्टॉफ की जानकारी निम्नानुसार है :—

d	in dk uke	efVDI yoy	J.kh	Lohdr	dk;jr	fjDr	Vhi
1	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	प्रथम श्रेणी	01	01	0	—
2	अतिरिक्त संचालक	लेवल—15	प्रथम श्रेणी	01	0	01	—
3	संयुक्त संचालक	लेवल—14	प्रथम श्रेणी	02	02	0	—
4	उप संचालक	लेवल—13	प्रथम श्रेणी	07	05	02	—
5	सहायक संचालक	लेवल—12	द्वितीय श्रेणी	24	21	03	—
6	ज्येष्ठ संपरीक्षक	लेवल—08	तृतीय श्रेणी	83	59	24	—
7	असिस्टेंट प्रोग्रामर	लेवल—09	तृतीय श्रेणी	01	0	01	—
8	अधीक्षक	लेवल—09	तृतीय श्रेणी	01	01	0	—
9	मुख्य लिपिक	लेवल—07	तृतीय श्रेणी	02	02	0	—
10	सहायक अधीक्षक	लेवल—08	तृतीय श्रेणी	01	0	01	—
11	सहायक ग्रेड1	लेवल—07	तृतीय श्रेणी	01	0	01	—
12	स्टेनोग्राफर	लेवल—07	तृतीय श्रेणी	01	0	01	—
13	सहायक संपरीक्षक	लेवल—06	तृतीय श्रेणी	165	85	80	—
14	लेखापाल	लेवल—06	तृतीय श्रेणी	01	0	01	—
15	सहायक ग्रेड 2	लेवल—06	तृतीय श्रेणी	13	11	02	—
16	डाटा एंट्री ऑपरेटर	लेवल—06	तृतीय श्रेणी	9	02	07	—
17	सहायक ग्रेड 3	लेवल—04	तृतीय श्रेणी	23	17	06	06 पदों पर सी.आई.डी.सी. से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।
18	स्टेनो टायपिस्ट	लेवल—04	तृतीय श्रेणी	05	0	05	—
19	वाहन चालक	लेवल—04	चतुर्थ श्रेणी	05	05	0	04 पद पर संविदा से कार्यरत है। 01 पद पर कले.दर से कार्यरत है।
20	भृत्य	लेवल—01	चतुर्थ श्रेणी	23	13	10	06 पदों पर सी.आई.डी.सी. से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।
21	चौकीदार (अस्थाई)	लेवल—01	चतुर्थ श्रेणी	06	05	01	—
	;kx			**375**	**229**	**146**	

टीप —संयुक्त संचालक (वित्त) के प्रतिनियुक्ति पद को उक्त तालिका में नहीं जोड़ा गया है।

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के तहत् कुल 12461 निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा की जाती है स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं अम्बिकापुर में पदस्थ अमले द्वारा क्षेत्र अंतर्गत स्थित निगमित एवं अनिगमित निकायों की संपरीक्षा की जाती है।

3- LFkkuh; fuf/k lijh{kk dk dk;l %&

स्थानीय निधि संपरीक्षा का कार्य निम्नानुसार हैं :–

स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 4(1) एवं 21(3) के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समय–समय पर जारी अधिसूचना के माध्यम से स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम के अधीन अंकेक्षणाधीन घोषित समस्त स्थानीय निकायों का अंकेक्षण कार्य संपादित करना।

ऐसी सभी संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य संपादित करना जिनके अंकेक्षण किसी ऐसे अधिनियम द्वारा या उसके अधीन, जिसके अनुसार ऐसी संस्थाओ का गठन किया गया हो, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा किया जाना उपबंधित हो।

ऐसे सभी स्थानीय प्राधिकरणों तथा निगमित और गैर निगमित निकायों के लेखाओं के अंकेक्षण के अतिरिक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा को, राज्य शासन के वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति पर, ऐसी किसी भी अन्य संस्थाओं के लेखाओं का अंकेक्षण करना होता है जो शासन द्वारा समय–समय पर सौंपी गयी हो।

स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा किये जाने वाले अंकेक्षण कार्य के आधार पर स्थानीय निकायों पर अंकेक्षण शुल्क आरोपित कर वसूली करना।

निकायों के अंकेक्षण कार्य के पश्चात् समक्ष आई वित्तीय अनियमितताओं को संकलित कर अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित निकाय एवं उनके प्रशासकीय विभागों की ओर वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने के उद्देश्य से प्रतिवेदन प्रसारित करना।

प्रभक्षण, वित्तीय कदाचार आदि के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही हेतु विशेष प्रतिवेदन निकाय एवं उनके प्रशासकीय विभाग की ओर प्रेषित करना।

स्थानीय निकायों के एवं अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण एवं नगर पालिक निगम रायपुर के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण का निराकरण करना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संबंधित निकाय एवं उनके प्रशासकीय विभागों की ओर प्रसारण उपरांत आक्षेपों के निराकरण हेतु चार माह बाद आगामी अभ्युक्तियॉ जारी करना।

अंकेक्षण के दौरान संबंधित निकायों में वित्तीय नियमों के परिपालन के संबंध में मार्गदर्शन देना।

स्थानीय निकायों के प्राधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपनें कर्तव्यों की घोर उपेक्षा किये जानें के फलस्वरूप निकाय की निधि से हुये दुर्व्यय या दुरूपयोजन की पूर्ति संबंधित प्राधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से किये जानें हेतु स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 10, 11, 12 एवं 13 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही करना।

4- if'k{k.k %&

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण कराये गये हैं :–

1. सूचना के अधिकार के संबंध में व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण।
2. कार्मिक संपदा के नवीन साफटवेयर में इंट्री ।
3. नवीन बिहान योजना के संबंध में वर्ष में कुल 13 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

5- HkrhZ %&

शासन से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात, विभागीय पद संरचना से स्वीकृत पदों के अंतर्गत व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के माध्यम से 04 ज्येष्ठ संपरीक्षक, 20 सहायक संपरीक्षक एवं 01 सहायक प्रोग्रामर की नियुक्ति की गई है ।

6- lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 dk fd;kUo;u %&

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–18 एवं धारा ''क" के अंतर्गत इस संचालनालय के निम्नलिखित कार्यालयों के लिए क्रमशः अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी नियुक्ति किये गये है।

उक्त के अलावा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किये गये हैं। संचालनालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानानुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है। सूचना के अधिकार के तहत विभाग में प्राप्त ओवदनों का यथा समय निराकरण किया जाता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष 03 आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें से 02 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है शेष 01 प्रकरण वर्तमान तक प्रक्रियाधीन है।

7- n{krk lijh{kk ¼Performance Audit½ %&

विगत कुछ वर्षो में विकास कार्यो तथा कल्याणकारी गतिविधियों के संदर्भ में न केवल केन्द्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा बल्कि कुछ बड़े स्थानीय प्राधिकरणों, निगमित तथा गैर निगमित निकायों के द्वारा भी किए जा रहे शासकीय व्यय के स्वरूप में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस कारण स्थानीय निधि संपरीक्षा के द्वारा अपने नियमित अंकेक्षण के साथ–साथ छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा के विभागीय मैनुअल 2004 में दिए प्रावधानों अंतर्गत, दक्षता संपरीक्षा का कार्य भी किया जाता है। इसके अंतर्गत निकायों में प्रचलित योजनाओं के दक्षता लेखा परीक्षा के परिणामों के आधार पर योजना लक्ष्यों तथा पुर्वानुमानों के संदर्भ मे वर्ष में योजना व्यय की प्रगति तथा कार्य कुशलता का संपूर्ण मूल्यांकन करते हुए लाभान्वित वर्गो को प्राप्त हुए लाभ की समीक्षा की जाती है। इस अनुक्रम में स्थानीय निधि संपरीक्षा के द्वारा स्थानीय नगरीय निकायों के अंतर्गत क्रियान्वित पार्किग ठेका, पुष्पवाटिका योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना तथा पंचायतों में संचालित मवेशी बाजार ठेका योजना के दक्षता संपरीक्षा का कार्य किया गया है।

8- LFkkuh; fuf/k lEijh{kk vf/kfu;e 1973 dk v|ru fd;k tkuk %&

वर्तमान में संचालनालय के द्वारा छत्तीसगढ़, स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षण का कार्य किया जाता है। यह अधिनियम मूलतः 1933 का अधिनियम है जिसे आंशिक परिवर्तनों के साथ वर्ष 1973 में नवीन अधिनियम के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। वर्तमान परिवेश में स्थानीय, स्वायत्तशासी निकायों निगमित, गैर निगमित निकायों की संख्या एवं इनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि तथा इसके स्वयं के अधिनियमों में आवश्यकतानुरूप परिवर्तन साथ ही इन निकायों के माध्यम से शासन की अत्यधिक राशि के व्यय के दृष्टिगत इनके लेखाओं की जांच किया जाना आवश्यक है । इस उद्देश्य से तथा अन्य राज्यों में स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधिकारियों के द्वारा किए गए भ्रमण के प्राप्त परिणामों के आधार पर वर्तमान में प्रचलित छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धाराओं में परिवर्तन कर युक्तियुक्त करण किया जाकर इसके धाराओं संशोधन की कार्यवाही की जा रही हैं।

9- fo'k"k lEijh{kk ¼Special Audit½ %&

स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 2 (ज) एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा नियमावली 1974 के नियम 16 के अनुसार राज्य सरकार के निर्देश अथवा स्थानीय प्राधिकारी के मांग पर संचालक द्वारा विशेष परिस्थितियों में किसी विनिर्दिष्ट कालावधि. के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की ''विशेष संपरीक्षा'' किया जाता है वर्ष 2019–20 में स्थानीय निधि संपरीक्षा के द्वारा संत गहिरा गुरू विश्व विद्यालय अम्बिकापुर के अंतर्गत संचालित अभियांत्रिकी महाविद्यालय को दिनांक 01.04.2014 से 30.09.2018 तक शासन एवं विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त अनुदान/ सहायक अनुदान, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना आदि की राशियों से क्रय किए गए सामग्रियों के लेखाओं की विशेष संपरीक्षा की गई है।

10- NRrhlx< fo/kku lHkk dh ^^iapk;r jkt ,oa LFkkuh; fudk; y[kk lfefr** dh cSBd %&

स्थानीय निधि संपरीक्षा के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के अंकेक्षण उपरांत तैयार किए गए समेकित प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब तक कुल 04 समेकित प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत कराए जा चुके हैं। इन प्रतिवेदनों की प्राप्तियों पर विचार /परीक्षण करने के लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा में दिनांक 01.05.2018 को ''पंचायत राज एवं स्थानीय निकाय लेखा समिति'' का गठन किया गया है। दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 की अवधि में समिति की कुल 02 बैठक हुई है जिनमें स्थानीय निकायों की अंकेक्षण उपरांत प्राप्त महत्वपूर्ण कंडिकाओं पर चर्चा की गई ।

11- NRrhlx< ifCyd Qk;ukfUl;y eSustesaV ,oa ,dkmaVfoyhVh dk;Zdze %&

यह कार्यक्रम विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना है तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा के संस्थागत मजबूती अंकेक्षकों के क्षमता निर्माण एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा के विभागीय नियमावली 2004 को अद्यतन करना, अंकेक्षकों के तकनीकी सहायता/प्रशिक्षण हेतु अंकेक्षण की नवीन प्रणालियों को अपनाने एवं इसके अनुसार पायलट ऑडिट करने, अंकेक्षण के बैकलॉग को समाप्त करने का कार्य किया जाना है। संचालनालय द्वारा इस कार्यक्रम अंतर्गत तैयार ToR (Term's of Reference) की अनुमति शासन से प्राप्त हो चुकी है।

इस कार्य के लिए सर्वप्रथम सलाहकार की नियुक्ति किया जाना है, इस हेतु दिनांक 20.11. 2019 को Expression of Intenest जारी किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सलाहकार की नियुक्ति कर उनका प्रारंभिक प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने का लक्ष्य है।

12- foHkkxh; v/khuLFk y[kk lok ijh{kk dk vk;kstu %&

स्थानीय निधि संपरीक्षा में अर्हता प्राप्त ज्येष्ठ संपरीक्षकों की आवश्यकता कों पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष ''छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा'' का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2019–20 की अवधि में इस परीक्षा का आयोजन दिनांक 18.11.2019 से 22.11.2019 के मध्य आयोजित किया गया । इस परीक्षा के भाग–1 में 27 एवं भाग–2 में 20 प्रतिभागी शामिल हुए। इस परीक्षा के भाग एक में 05 प्रश्नपत्र एवं भाग–दो में 05 प्रश्न पत्र होते है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरांत ही कर्मचारी ज्येष्ठ संपरीक्षक के पद पर स्थायी या पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं।

13. Audit App dk fuek.k %&

स्थानीय निधि संपरीक्षा के क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा संपादित किए जा रहे अंकेक्षण कार्यो के विभिन्न स्तरों की वास्तविक समय जानकारी प्राप्त करने, अंकेक्षण कार्यो के मानीटर करने, किसी आदेश या निर्देश को फील्ड में कार्यरत अंकेक्षको को शीघ्रता से पहुचाने, अंकेक्षकों से आवश्यकतानुसार नियमित रिपोर्ट प्राप्त करने, अंकेक्षण कार्यो को आसानी से Track करने, विभागीय digital innovation के तहत, मोबाईल आधारित Audit App का निर्माण किया गया है। फील्ड में कियान्वित अंकेक्षण कार्यो के वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त करने हेतु Audit App तैयार करने वाला छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य है। इस App से अंकेक्षण कार्यो के कियान्वयन मानिटरींग एवं सूचनाओं के आदान प्रदान में आसानी होगी।

14- foHkkxh; dEI;Vjhdj.k (elfa) :–

स्थानीय निधि संपरीक्षा के कार्यों यथा अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने, आपत्तियों के संग्रहण, अंकेक्षण प्रतिवेदनों का प्रसारण, अंकेक्षण संबंधी अन्य MIS तैयार करने के लिए, EU-SPP योजना अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा के विभागीय कार्यों का कम्पयूटरीकरण किया जा रहा है । यह कार्य NIC के माध्यम से किया गया है। वर्तमान में विभागीय वेबसाईट www.lfa.cg.nic.in के अलावा पंचायत राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगरीय निकायों के अंकेक्षण आपत्तियों के input format's एवं output format's विकसित किया गया है । इसके अतिरिक्त कृषि उपज मंडी समितियों एवं विश्वविद्यालयों में अंकेक्षण के दौरान प्राप्त आपत्तियों के format's भी विकसित किए जा रहें है । दिसंबर 2019 की स्थिति में पंचायत राज संस्थाओं के 3168 एवं नगरीय निकायों के कुल 323 अर्थात कुल 3491 प्रतिवेदन इस software में entry किए जा चुके है । यह भी उल्लेख है कि ''विभागीय कम्प्यूटरीकरण कार्य (e-lfa)'' एवं ''ऑडिट एप्प'' निर्माण कार्य को भारत शासन के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा प्रदान किए जाने वाले ''National Awards on e-governance'' हेतु भी प्रेषित किया गया है।

15- oru fu/kkj.k ,o lR;kiu idk"B %&

वित्त विभाग छ.ग. शासन के परिपत्र कमांक 1533/एल 11–2/वित्त/2010/ बजट–4/ चार रायपुर, दिनांक 13.10.2011 एवं 788/एफ–01002199/एल–11–2/ब–4 द्वारा राज्य शासन के

अधीन कार्यरत निगम/ मण्डल/ आयोग/ अर्धशासकीय संस्थाओं तथा शत–प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण हेतु दिए गए निर्देशानुसार राज्य के समस्त स्थानीय निकायों, स्वशासीय निकायों, निगमों, मंडलों एवं आयोगों एवं अनुदान प्राप्त समस्त संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन भत्तों का निर्धारण एवं सत्यापन का कार्य संचालनालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। प्रतिवेदनाधीन अवधि (01.04.2019 से 31.12.2019 तक) में संचालनालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कुल 17027 वेतन निर्धारण प्रकरणों का सत्यापन किया गया एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग तथा नगर पालिक निगम रायपुर के सेवा निवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों के कुल 174 पेंशन प्रकरणों का प्रमाणिकरण किया गया ।

16- fo/kku lHkk idk"B%&

संचालनालय स्थित इस प्रकोष्ठ के द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायत राज संस्थाओं एवं नगर निगमों के संपादित अंकेक्षण का समेकित प्रतिवेदन तैयार कर वित्त विभाग के माध्यम से विधान सभा में प्रस्तुत कराया जाता है । उक्त प्रतिवेदन पर विचार करने हेतु गठित विधानसभा समिति के निर्देशानुसार मौखिक साक्ष्य हेतु आपत्तियों का चयन तथा आपत्तियों के निराकरण, साक्ष्य अभिलेखों का संधारण आदि की कार्यवाही भी इस शाखा के द्वारा की जाती है ।

17- fo'ofo|ky; idk"B%&

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा के विभागीय मैनुअल 2004 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुमोदन संचालनालय के द्वारा किया जाना है इस हेतु संचालनालय में विश्वविद्यालय प्रकोष्ठ गठन किया गया है। जिसके अंतर्गत संपरीक्षित समस्त विश्वविद्यालयों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जाकर, अनुमोदित कराया जाता है एवं इस अनुमोदित प्रतिवेदनों का प्रसारण संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा किया जाता है। दिसम्बर 2019 तक निम्न विश्वविद्यालयों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का प्रसारण विश्वविद्यालय प्रकोष्ठ के द्वारा किया गया है :–

d-	fo'ofo|ky; dk uke	foRrh; o"k	vuqeknu fnukd
1	पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय रायपुर	2016–17 एवं 2017–18	06.04.2019
2	अधीक्षक भौतिक संयत्र इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर	2012–13	19.12.2019
3	पंडित सुंदर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर	2016–17 एवं 2017–18	31.12.2019

18- tu dk;Z fnol dh fLFkfr %&

v वित्तीय वर्ष 2018–19 की जन कार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :–

01.04.2018 को अवशेष	2018–19 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2018–19 में संपादित कार्य	31.03.2019 को अवशेष
642382	81326	723708	23460	700248

c वित्तीय वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) में जन कार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :–

01.04.2019 को अवशेष	2019–20 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2019–20 में संपादित कार्य (31.12.2019 तक)	31.12.2019 को अवशेष
700248	85487	785735	12555	773180

टीप – कृषि उपज मंडी समिति बगीचा एवं कुनकुरी का विलय अन्य मंडी में होने के कारण 480 जनकार्य दिवस को घटाया गया है। जनकार्य दिवस 144 को प्रारंभिक शेष के कारण समायोजन ।

19- laijh{kk 'kYd:–

अ. 2018–19 में संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :–

01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	2018–19 की मांग	कुलमांग	कुल वसूली (31.03.2019 तक)	दिनांक 31.03.2019 को अवशेष
217391009	29208160	246599169	27641959	218957210

ब. 2019–20 (31.12.2019 तक) में संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी:–

01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	2019–20 की मांग	कुल मांग	कुलवसूली (31.12.2019तक)	दिनांक 31.12.2019को अवशेष
218957210	21342800	240300010	4756699	235543311

टीप– क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव के वार्षिक प्रतिवेदन 2018–19 के अनुसार दिनांक 31.03.19 को अवशेष राशि रू. 44089455 है क्षेत्रीय कार्यालय के संपरीक्षा शुल्क मासिक पत्रक के अनुसार दिनांक 01.04.19 की स्थिति में अवशेष राशि रू 43836910 होने से 01.04.19 को प्रारंभिक शेष में राशि रू. 43836910 को लिया गया है।

20- laijh{kk izfrosnu :–

वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 (31 दिसम्बर 2019 तक) में विभिन्न संस्थाओं/निकायों की ओर संपरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रसारण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:–

v वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रसारित संपरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नानुसार रही थी:–

01.04.2018 को प्रसारण हेतु लंबित प्रतिवेदन	2018–19 में प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2018–19 में प्रसारित प्रतिवेदन	31.03.2019 को प्रसारण हेतु अवशेष
63	1494	1557	1475	82

c वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिनांक 31 दिसम्बर 2019 तक) में प्रतिवेदन प्रसारण की स्थिति निम्नानुसार हैः–

01.04.2019 को अवशेष	2019–20 में (31.12.2019 तक) प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष2019–20 में (31.12.2019 तक) प्रसारित प्रतिवेदन	31.12.2019 को प्रसारण हेतु अवशेष
82	436	518	451	67

21- fujkdr vkifRr;k :–

वित्तीय वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 (31 दिसम्बर 2019 तक) की स्थिति में विभिन्न स्थानीय निकायों की ओर लंबित एवं निराकृत आपत्तियों की जानकारी एवं सन्निहित राशि की जानकारी निम्नानुसार थी :–

v- वित्तीय वर्ष 2018–19 की स्थिति में :–

प्रारंभिक लंबित ऑडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये ऑडिट आपत्तियों की संख्या	कुल अवशेष ऑडिट आपत्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत ऑडिट आपत्तियों कीसंख्या	अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि
298453	**45353**	**343806**	**2600**	**341206**	**213473431311**

c- वित्तीय वर्ष 2019–20 (31 दिसम्बर 2019 तक) की स्थिति में:–

प्रारंभिक लंबित ऑडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये ऑडिट आपत्तियों की संख्या	कुल अवशेष ऑडिट आपत्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत ऑडिट आपत्तियों की संख्या	अवशेष ऑडिट आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि
341206	**16114**	**357320**	**1119**	**356201**	**238600655052**

22- LFkkuh; fudk;k d vk;&0;; –

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में जिन निकायों की संपरीक्षा की गई उनके आय–व्यय के आंकड़े निम्नानुसार रहे :–

(राशि ₹ में)

v	वित्तीय वर्ष 2018–19 की स्थिति में :–	
	आय–	**37283574042-00**
	व्यय–	**31616584064-00**
c-	वित्तीय वर्ष 2019–20 (31.12.2019) की स्थिति में	
	आय–	**57869174748-00**
	व्यय–	**37992004311-00**

23- iHk{k.k %&

लेखा नियमों की अवहेलना तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्रशासनिक शिथिलता के कारण प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रभक्षण की स्थिति निम्नानुसार थी :–

दिनांक 31.12.2019 तक अनिराकृत प्रभक्षण प्रकरणों की संख्या	प्रभक्षण प्रकरणों सन्निहित राशि ₹
2212	**110090027-00**

24- vf/kHkkj :–

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसी हानियों के प्रकरण जिसमें किसी अधिकारी/कर्मचारियों की अपने कर्तव्यों के प्रति घोर अवहेलना, कदाचरण अथवा तत्परता से कर्तव्यों का पालन न करने या कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण अवैधानिक व्यय हुआ हो, ऐसे प्रकरणों में अधिभार कार्यवाही संस्थित की जाती है। ऐसे अधिभार प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही की स्थिति निम्नानुसार है:–

v- foRrh; o"kZ 2018&19 dh fLFkfr e: %&

d:	i:dj.kk dk fooj.k	l:[;k	lfUufgr jkf'k ₹	fujkd`r l:[;k	vo'k"k l:[;k	vo'k"k jkf'k ₹
1	अधिभार आरोप पत्र	19	429597	0	19	525660
2	अधिभार सूचना	13	1048192	4	13	1182705
3	अधिभार आदेश	39	764570	1	38	676573
4	मांग हेतु प्रमाण पत्र	40	503117	1	23	140105

c- foRrh; o"kZ 2019&20 dh fLFkfr e: %&

d:	i:dj.kk dk fooj.k	l:[;k	lfUufgr jkf'k ₹	fujkd`r l:[;k	vo'k"k l:[;k	vo'k"k jkf'k ₹
1	अधिभार आरोप पत्र	20	439597	0	20	525660
2	अधिभार सूचना	13	1048192	0	13	1182705
3	अधिभार आदेश	37	735866	1	36	622978
4	मांग हेतु प्रमाण पत्र	24	149016	1	23	100157

25- jktLo ekx olwyh %&

विभाग द्वारा प्रतिवेदनाधीन वर्ष 2018–19 में संपरीक्षित निकायों में करों एवं शुल्कों की मांग वसूली विभिन्न संपरीक्षित वर्षों तथा संस्थाओं में उपलब्ध जानकारी अनुसार वर्ष 2018–19 में राशि ₹1283337188.00 तथा वर्ष 2019–20 में राशि ₹275557834.00 (31.12.2019 तक) वसूली हेतु शेष थी।

26- vfxe %&

v- वित्तीय वर्ष 2018–19 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ₹213393549.00 का अग्रिम समायोजन/वसूली हेतु शेष रहा।

c- वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ₹53940026.00 समायोजन/वसूली हेतु शेष है।

वित्तीय नियमों का समुचित पालन नहीं किये जाने से अग्रिमों का समायोजन होना नहीं पाया गया।

27- _.k %&

अ. वित्तीय वर्ष 2018–19 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ₹640424187.00 का ऋण पुनर्भुगतान हेतु शेष था।

ब. वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्थिति में (दिनांक 01.04.18 से 31.12.2019) विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ₹5438632497.00 ऋण पुनर्भुगतान हेतु शेष है।

28- vuqnku %&

वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों को शासन/विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त अनुदान में से कुल राशि ₹9949103787.00 अवशेष होना पाया गया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिनांक 01.04.18 से 31.12.2019) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर को कुल राशि ₹6152447586.00 का अनुदान अवशेष होना पाया गया।

29- fu{ksi %&

वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि ₹100787779.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिनांक 01.04.18 से 31.12.2019) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि ₹39224103.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया।

Hkkx&nks

Ckt V %&

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा वर्ष 2019–20 के लिये आबंटित बजट में से दिनांक 31.12.2019 तक कुल राशि ₹11.64 करोड़ व्यय हुआ है।

Hkkx&rhu

1-fujh{k.k %&

संचालनालय के अधीन स्थानीय निकायों में पश्चातवर्ती संपरीक्षा दल के कार्यो का समय–समय पर सहायक संचालक द्वारा निरीक्षण पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त संचालक के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।

2-i;Zos{k.k %&

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विभिन्न स्तरीय निकायों की विभिन्न वर्षों की लेखाओं की संपरीक्षा की गई तथा जिसमें से अधिकांशतः निकायों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया।

3-vads{k.k dk nkSjku olwyh%&

स्थानीय निकायों में संपरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों को प्रकाश में लाते हुए अंकेक्षण द्वारा उत्तरदायी पदाधिकारियों से कुल राशि ₹1368355.00 की वसूली की जाकर निकाय निधि में जमा कराई गई।

&&&000&&&

lpkyuky; lLFkkxr foRr] NRrhlx<
bUnkorh Hkou] Cykd&,] prFk ry] uok jk;ipj vVy uxj

Hkkx&1

lpkyuky; d xBu dk mnn'; %&

छत्तीसगढ़ राज्य के बैंको के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, राज्य का वित्तीय एजेंसियों के साथ समन्वय तथा राज्य में संस्थागत वित्त का अधिकाधिक प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त संचालनालय की स्थापना की गई है। तद्नुसार संचालनालय को निम्नांकित दायित्व सौंपे गये :–

1. बैंकिग कार्यकलापों का विस्तार तथा बैंको को विकासमूलक कार्यक्रम के संपादन में आने वाली बाधाओं/समस्याओं का निराकरण करना।
2. बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं के योगदान से संबंधित राज्य और जिला स्तर समन्वय समितियों तथा सलाहकार समिति से जुडे कार्य।
3. जिला एवं राज्य स्तरीय ऋण योजना, ऋण देने की प्रणाली एवं गति में सुधार संबंधित कार्य।
4. बैंकों में शासकीय जमा हेतु बैंकों के इम्पैनलमैन्ट संबंधी कार्य।
5. Public Expenditure Tracking System - Management Information System (PETS MIS) के अंतर्गत इम्पैनल बैंकों से प्राप्त शासकीय जमा के आंकड़ों का संकलन।
6. विदेशी सहायता प्राप्ति एवं तत्संबंधी परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं अभिलेख इत्यादि का संधारण कार्य।
7. भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित योजनाओं तथा निर्देशावली के क्रियान्वयन।
8. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रदान करना।
9. प्रधानमंत्री की बीमा योजनाओं (प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना) के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रदान करना।

राज्य शासन की विकास नीतियों को मूर्त रूप देने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से भारत शासन के माध्यम से विदेशी सहायता भी प्राप्त की जाती है। चूँकि विदेशी सहायता की राशि भारत शासन के माध्यम से राज्य शासन की अतिरिक्त योजना संसाधन के रूप में प्राप्त होती है, अतः संचालनालय का यह प्रयास रहा कि भारत सरकार को अधिक से अधिक विकास परियोजनाएं विदेशी सहायता हेतु प्रेषित की जाए, जिससे राज्य की विकास गति को अपेक्षा अनुसार वित्तीय समर्थन मिलता रहे। संचालनालय द्वारा ऐसी विदेशी संस्थाओं से सहायता ली जाती है, जिसका ऋण दर कम हो तथा अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त हो।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्श में वित्तीय समावेशन हेतु प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ अगस्त 2014 को किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 146 लाख से ज्यादा व्यक्तियों ने बैंकों में नये खाते खोले है।

वित्तीय समावेशन की अगली कड़ी में भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 से तीन महत्वपूर्ण योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाय.), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाय.) एवं अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाय.) का शुभारंभ किया है। उक्त योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इन तीनो महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य में फरवरी 2019 तक पी.एम.जे.जे.बी.वाय. के अंतर्गत 10.69 लाख, पी.एम.एस.बी.वाय. के अंतर्गत 42.73 लाख लोगो ने अपना पंजीकरण कराया है। अटल पेंशन योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कामगारों एवं पेंशन विहिन व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निश्चित पेंशन प्रदान करना है के अंतर्गत राज्य के 1.88 लाख से अधिक जनसंख्या अटल पेंशन योजना से जुड़ चुकी है।

vYi cpr ,o jkT; ykWVjh dh lkekU; tkudkjh

छत्तीसगढ़ राज्य में अल्प बचत योजनाओं को राज्य में बढ़ावा देना है। अल्प बचत योजनाएं निम्नलिखित हैं :–

1. किसान विकास पत्र 9 वर्ष 4 माह में राशि दुगुनी।
2. राष्ट्रीय बचत पत्र आठवां निर्गम
3. मासिक आय योजना
4. सावधि जमा योजना
5. डाकघर बचत खाता
6. पंच वर्षीय आवर्ती जमा योजना
7. वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना 8.7 प्रतिशत मासिक ब्याज दर
8. लोक भविष्य निधि खाता में डेढ़ लाख की वृद्धि कर दी गई, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर है।

उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन एस.ए.एस. एजेंट ए.पी.के.वी.वाय एजेंटों की नियुक्ति एवं पी.पी. एफ. एजेंटों की नियुक्ति संबंधी कार्य संचालनालय की देख–रेख में जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है।

lapkyuky; dk Á'kklfud; <kpk&

उपरोक्त दायित्वों एवं कार्यो के संपादन एवं निर्वहन के लिये स्थापित संस्थागत वित्त संचालनालय के अधीन राज्य स्तर एवं चिन्हित स्थलों पर क्षेत्रीय अमला स्वीकृत है।

संचालनालय के अमले में निम्नलिखित सेटअप की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

Ø-	inuke	efVDl yoy	Lohd`r in	dk;Zjr in	fjDr in
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	01	01	–
2.	अतिरिक्त संचालक	15	01	01	–
3.	संयुक्त संचालक	14	01	01	–
4.	प्रोग्राम आफिसर (ईएपी)	14	01	01	–
5.	सहायक संचालक	12	01	01	–
6.	प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	12	01	–	01
7.	सहायक सॉख्यिकी अधिकारी	9	01	–	01
8.	क्षेत्रीय वित्तीय समावेशन अधिकारी	9	04	04	
9.	स्टेनोग्राफर वर्ग–2	9	01	01	–
10.	स्टेनोग्राफर वर्ग–3	7	01	01	–
11.	सहायक ग्रेड–01	7	01	01	–
12.	लेखापाल	6	01	–	01
13.	सहायक वर्ग–2	6	02	02	–
14.	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	6	03	03	–
15.	क्षेत्रीय सहायक (वित्तीय समावेशन)	5	02	02	–
16.	सहायक ग्रेड–3	4	03	03	–
17.	वाहन चालक	4	03	03	–
18.	भृत्य	1	03	02	01
19.	चौकीदार	कलेक्टर दर पर	01	01	–
	;kx		**32**	**28**	**04**

भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्त अधिकारी, अपर संचालक के पद पर पदस्थ हैं। प्रोग्राम आफिसर (ईएपी), स्टेनोग्राफर वर्ग–3, भृत्य के पद संविदा नियुक्ति से भरे गये हैं।

Hkkx&2

cTkV Áko/kku ,oa O;;

v-

2052&lfpoky; lkekU; lsok;

¼091½&lc) dk;kZy;

4296&lpkyuky; lLFkkxr foŸk

- **foHkkxh; miyC/k ctV**

¼vkdM+s yk[k :- e½ ¼vDVwcj 2019 dh fLFkfr e½

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्ते आदि #01	158.00	71.80	86.20
02	मजदूरी #02	4.00	1.54	2.46
03	यात्रा भत्ता #03	16.50	5.69	10.81
04	कार्यालय व्यय #04	27.20	2.94	24.26
05	प्रशिक्षण #05	1.10	0.00	1.10
06	व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां #10	12.00	3.69	8.31
07	अनुरक्षण पर व्यय एवं उपकरण #24	1.10	0.14	0.96
	योग–	219.90	85.50	134.40

c-

2052&lfpoky; lkekU; lsok;sa
¼091½&lfpo) dk;kZy;
4296&lpkyuky; lLFkkxr foRr
2435&vU; d`f"k dk;ZØe

¼vkdM+s yk[k :- e½ ¼vDVwcj 2019 dh fLFkfr e½

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज–0101–5628	2200.00	0.00	2200.00
02	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए गए अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना–0101–7973	304875.00	174684.05	130190.95
03	लघु एवं सीमांत कृषक ऋण माफी योजना –0101–8671	45125.01	45125.00	0.01

l-

2052&lfpoky; lkekU; lsok;sa
¼091½&lfpo} dk;kZy;
4296&lpkyuky; lLFkkxr foRr
7919&NRrhlx< ykd foRr iczU/ku ifj;kstuk

¼vkdM+s yk[k :- e½ ¼vDVwcj 2019 dh fLFkfr e½

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	कार्यालय व्यय #04	10.00	0.00	10.00
02	व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां #10	40.00	0.04	39.96

n-

2052&lfpoky; lkekU; lsok;s

¼091½&lac) dk;kZy;

7836&vU; cpr

- **foHkkxh; miyC/k ctV**

¼vkdM+s yk[k :- e½ ¼vDVqcj 2019 dh fLFkfr e½

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्ते आदि #01	114.40	47.06	67.34
02	यात्रा भत्ता #03	1.05	0.005	1.045
03	कार्यालय व्यय #04	6.00	1.19	4.81
	योग–	121.45	48.255	73.195

Hkkx&3

lapkyuky; ds dk;Zdyki ,o xfrfof/k;k¡ %&

1. संचालनालय के सफल प्रयास से बैंकों के कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है। मार्च, 2019 की स्थिति में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1315, अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 722 एवं शहरी क्षेत्रों में 774 कुल 2,811 बैंक शाखा कार्यरत रही है। बैंकों को साख जमा अनुपात का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 60% के विरूद्ध मार्च, 2019 में 66.04% हुआ है। राज्य में प्राथमिक क्षेत्रों में साख की दर भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 40% के विरूद्ध मार्च, 2019 में 50.09% हो गया हैं। कृषि ऋण (अग्रिम) कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 18% के विरूद्ध मार्च, 2019 में 15.29% हुआ है। कृषि क्षेत्र में कुल अग्रिम दिसम्बर 2018 में रु 17,279.36 करोड़ के विरुद्ध मार्च 2019 में 15,243.18 करोड़ हुआ है। यह वृद्वि 9% है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में कुल अग्रिम दिसम्बर, 2018 में ₹ 22,469.17 करोड़ के विरूद्ध मार्च 2019 में ₹ 24,712.83 करोड़ हुआ है, जो कि 9% अधिक है। कमजोर क्षेत्र को अग्रिम का कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 10% के विरूद्ध मार्च 2019 में 15.07% हुआ है।

2. अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत् प्रदेश के 27 जिले विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को आबंटित किए गए हैं। अग्रणी बैंक का प्रमुख उत्तरदायित्व जिले की साख योजनाओं को तैयार कर कार्यान्वित करना एवं बैंक तथा जिला प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है। जिला स्तर पर साख संबंधी योजना तैयार करने का कार्य को सुगम बनाने के लिये राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं का कियान्वयन करने वाली शासकीय विभागों के साथ समन्वय कर आगामी वर्ष की साख योजना के

लिये दस्तावेज तैयार करने का प्रयास किया जाता है। शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंकों के साथ अनुश्रवण कर वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाता है।

Hkkx&4

cSd olwyh ÁkRlkgu ;kstuk Ádk"B ¼fcLd½ dk fØ;kUo;u ½&

शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत् व्यावसायिक बैंको एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा प्रदत्त ऋणों के अतिदेय राशियों की वसूली हेतु सहायता करने में राज्य शासन भरसक प्रयत्नशील हैं। इस दिशा में राज्य शासन वसूली हेतु अपने प्रशासनिक तंत्र (राजस्व अमला) की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। ब्रिस्क योजना के अंर्तगत् पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को रु. 12,83,629.00 बंटवारे में प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से **vDVwcj 2019** की स्थिति में ब्रिस्क खाते में रु **26]96]478-92** जमा है।

———000———

lpkyuky;] foRrh; ic/k ,o lpuk i.kkyh] NRrhlx<
egkunh Hkou] uok jk;ij vVy uxj

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छत्तीसगढ़ कार्यालय का गठन छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 13 अगस्त, 2001 को किया गया था। वित्त विभाग के अंतर्गत गठित इस कार्यालय द्वारा राज्य शासन के वित्तीय प्रबंध एवं वित्तीय नियंत्रण से संबंधित सभी कार्य संपादित किये जाते हैं।

o"k 2019&20 e dk;ky; dh xfrfof/k;k %&

2. वर्ष 2019–20 का प्रथम अनुपूरक एवं द्वितीय अनुपूरक संकलित कर निर्धारित प्रारुप में तैयार किया गया तथा वर्ष 2020–21 का मुख्य बजट अनुमान का संकलन कार्य प्रगति पर है।

lxBukRed <kpk %&

संचालनालय हेतु निम्नलिखित पद संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

Ø-	in	J.kh@loxZ	osru yoy	in la[;k
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा	—	पदेन
2.	अपर संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	15	01
3.	संयुक्त संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	14	01
4.	उप संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	13	01
5.	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	12	01
6.	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	12	01
7.	सहायक लेखा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	9	02
8.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय श्रेणी	9	01
9.	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	8	01
10.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	तृतीय श्रेणी	6	04
11.	स्टेनोग्राफर अंग्रेजी	तृतीय श्रेणी	7	01
12.	स्टेनोग्राफर हिन्दी	तृतीय श्रेणी	7	01
13.	सहायक ग्रेड–02	तृतीय श्रेणी	6	01
14.	सहायक ग्रेड–03	तृतीय श्रेणी	4	03
15.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	4	04
16.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	1	03
	;ksx			**26**

बजट आबंटन तथा व्यय (वित्तीय वर्ष 2019–20)

31 नवंबर, 2019 की स्थिति में

(राशि रुपये में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट आबंटन	वास्तविक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2052	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	1,43,15,000	86,53,758
2	4070	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	6,00,000	0
			योग	1,49,15,000	86,53,758

❖ **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत वर्ष 2019 में प्राप्त प्रकरणों के क्रियान्वयन की जानकारी**

प्राप्त आवेदन पत्र	निराकृत	अस्वीकृत
————	———— निरंक ————	————

———000———

NRrhlx< bUÝkLVDpj Moyiesv dkikZsj'ku fyfeVsM

पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, रायपुर 492001

lkekU; tkudkjh

¼1½ xBu dk mn~ns';

सी.आई.डी.सी. का गठन, कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में 26 फरवरी, 2001 को किया गया था। इसे अपना व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण–पत्र 28 मार्च, 2001 को प्राप्त हुआ। शासन द्वारा इसकी अधिकृत अंशपूंजी ₹10.00 करोड़ रखी गयी है। मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के अनुसार इस कार्पोरेशन के गठन का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैः–

यह निगम राज्य में सभी प्रकार की अधोसंरचना विकास एवं उसके लिये निजी पूंजी निवेश के समन्वय हेतु छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सलाहकार व नोडल एजेन्सी के रुप में तथा राज्य में सभी प्रकार की अधोसंरचना विकास परियोजनाओं हेतु नीति के निर्धारण, संवर्धन, विकास, क्रियान्वयन, निर्माण, संचालन, रखरखाव, प्रबधंन एवं वित्तीय व्यवस्था के लिये प्रवर्तक, सलाहकार, प्रायोजक व प्रबधंन सेवा प्रदाता के रुप में कार्य करेगा।

¼2½ laxBukRed <kapk & सी.आई.डी.सी. में निम्नानुसार मूल अमला कार्यरत् है :–

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत् पद
1.	प्रबधं संचालक	1	1
2.	मुख्य महाप्रबधंक	2	1
3.	प्रबधंक	2	–
4.	प्रबधंक (लेखा)	1	1
5.	स्टेनोग्राफर	6	2
6.	रिसेप्सनिस्ट	2	–

¼3½ fØ;kdyki

सी.आई.डी.सी. द्वारा वर्ष 2003 से मुख्यतः विघटित मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के परिसमापन एवं पुनर्वास का ही कार्य किया जा रहा है। पुनर्वास प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 30.11.2019 की स्थिति में 806 कर्मचारी विभिन्न विभागों/निगमों/मंडलों आदि में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, जबकि 13 कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना है। विघटित परिवहन निगम के 21 कर्मचारी परिसमापन संबंधी कार्य कर रहे हैं।

सी.आई.डी.सी. द्वारा आई.आई.एम., अहमदाबाद के साथ पी.पी.पी. परियोजनाओं हेतु मानव संसाधन प्रदाय करने हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है, जिस पर आगामी कार्यवाही स्थगित रखी गयी है।

¼4½ ctV izko/kku ,oa O;;

सी.आई.डी.सी. को वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रावधानित ₹1300.00 लाख में से दो त्रैमास की राशि ₹550.00 लाख का आहरण किया गया है, जिसके विरूद्ध लगभग ₹ 609.24 लाख का व्यय हो चुका है। तृतीय त्रैमास की राशि (द्वितीय त्रैमास की शेष राशि ₹100.00 लाख सहित) ₹425.00 लाख का आहरण प्रक्रियाधीन है।

–––000–––